कार्यालय जिलाधिकारी महराजगंज

(खनन अनुभाग)

पत्र सं0 421/खनिज/2018 दिनांक 24/09/2018

ई–निविदा सह ई–नीलामी आमंत्रण हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद महराजगंज में नदी तल में उपलब्ध बालू, मोरम, बजरी आदि के खनन क्षेत्रों को शासनादेश संख्या–1875/88–2017–57(सा0)/2017 दिनांक 14.08.2017 में दिये गये निर्देशानुसार ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रणाली के माध्यम से उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–1963 के अध्याय–4 के अन्तर्गत खनन पट्टा पर स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नवत घोषित किया जाता है:–

1–क्षेत्र का विवरण–

क्र0 सं0	उप खनिज का नाम	नदी का नाम	क्षेत्र का विवरण				नियमावली –1963 के अनुसूची 1 के अनुसार रायल्टी दर (रू0 प्रति घनमीटर)	खनन योग्य आंकलित उप खनिज का भण्डार (घन मी0 प्रतिवर्ष)	प्रथम वर्ष में आंकलित भण्डार की कुल रायल्टी रूपयों में। (कालम 9 में अंकित घनमी0 प्रतिवर्ष को कालम 8 में अंकित रायल्टी की दर से गुणा करने पर उपलब्ध सकल धनराशि	अर्नेस्ट मनी (कालम 10 में अंकित सकल धनराशि का 25 प्रतिशत
			तहसील	ग्राम	गाटा सं0/ख ण्ड सं0/ जोन सं0	क्षेत्रफल (हे0में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सा0 बालू	रोहिन	नौतनवा	बैकुण्ठपुर	247म	5.475	65.00	54750	3558750	889688
2	सा0 बालू	रोहिन	नौतनवा	चकदह	1134ख	5.443	65.00	54430	3537950	884488

2. खनन पट्टा निश्चित अवधि 05 वर्ष के लिये स्वीकृत किये जायेगें। पट्टे की अवधि की गणना खनन पट्टा विलेख निष्पादन की तिथि से की जायेगी।

3. ई–निविदा सह ई–नीलामी की बिड/बोली उप खनिज की प्रति घनमीटर के लिये दी जायेगी, जो उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–1963 के अनुसूची–1 में निर्धारित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी। इससे भिन्न बिड/बोली दिये जाने पर बिड/बोली स्वीकार नहीं की जायेगी तथा प्री बिड अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी। प्राप्त उच्चतम बिड/बोली की दर (रूपया प्रति घनमी0) को क्षेत्र में आंकलित मात्रा (घन मी0) से गुणा कर प्रथम वर्ष की नीलामी की देय धनराशि आगणित की जायेगी, जिसे पट्टा के अनुवर्ती वर्षो में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की देय धनराशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

4. ई–निविदा सह ई–नीलामी दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में ई–निविदा सम्पन्न की जायेगी जिसके दौरान सभी बिडर्स को एक बार ई–निविदा (e-tender) देने का मौका प्रदत्त होगा जो पुनरीक्षित (Revise) नहीं किया जा सकेगा। ई–निविदा में प्राप्त उच्चतम निविदा को आधार मूल्य (Floor

Price) मानते हुये द्वितीय चरण में ई–नीलामी कराया जायेगा, जिसके दौरान बिडर्स ई–नीलामी हेतु निर्धारित तिथि एवं अवधि में ई–बिड दे सकता है। ई–नीलामी के दौरान केवल उच्चतम बोली को ही प्रदर्शित किया जायेगा, को देखते हुये बिडर अपना बिड पुनरीक्षित कर बढ़ा सकते है।

5. किसी क्षेत्र के ई–निविदा सह ई–नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी गणना खनन क्षेत्र में वार्षिक आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उप खनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा।

6. एम0एस0 टी0सी0 लि0 (भारत सरकार का उपक्रम) को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार की ओर से ई–नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। ई–निविदा सह ई–नीलामी द्वारा परिहार पर देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया आनलाईन एम0एस0टी0सी0लि0 के पोर्टल www.mstcecommerce.com पर की जायेगी।

7. इच्छुक आवेदकों के लिये आनलाईन बिड/बोली हेतु class III Signinig type डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है। एम0एस0टी0सी0 के उपरोक्त पोर्टल पर जाकर अर्ह आवेदक अपने पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात ही ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग ले सकेंगे।

8. पंजीकृत आवेदक निर्धारित पोर्टल पर आनलाईन एक या एक से अधिक क्षेत्रों के लिये बिड में भाग ले सकेगा परन्तु उसे प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग–अलग आवेदन शुल्क एवं प्रत्येक क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्नेस्ट मनी जमा करना होगा। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने के लिये सरकार के पक्ष में रू0 15,000(रू0 पन्द्रह हजार) का आवेदन शुल्क एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non refundable) होगा।

9. ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को एम0एस0टी0सी0 में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई–आक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध आनलाईन फार्म भरना पड़ेगा जिसके दौरान बिडर्स अपने लिये स्वयं जनित यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड बनायेगें। इस आनलाईन पंजीयन के उपरान्त बिडर्स को एम0एस0टी0सी0 द्वारा भेजा गया सूचना ई–मेल प्राप्त होगा, जिसके पश्चात् बिडर्स को आवश्यक अभिलेख स्कैन कर एम0एम0टी0सी0 को आनलाईन भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही बिडर्स को वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी0एस0टी0 सहित रू0 1,180(रू0 एक हजार एक सौ अस्सी मात्र) एम0एम0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से आनलाईन देय होगा। अनिवार्य अभिलेख एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात् ही बिडर्स का लॉगिन आई0डी0, पासवर्ड एवं एकाउन्ट एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर चालू (Activate) होगा।

10. पंजीकरण हेतु बिडर्स द्वारा स्व प्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा:–

(1) आवेदक के आधार कार्ड की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड की प्रति तथा कम्पनी के मामले में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण–पत्र की प्रति।

(2) आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में भागीदारों के अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में प्रबन्ध निदेशक का इस आशय का शपथ पत्र की कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नहीं किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहाँ आवेदक स्थाई रूप से निवास करता हो।

(3) आवेदक का पैन कार्ड की प्रति, फर्म या कम्पनी के मामले में उसका पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 नं0 प्रति।

(4) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई निविदा सह ई नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, यथा बैंक का नाम, खाता संख्या आई0एफ0एस0सी0 कोड, तथा एक निरस्त चेक की प्रति।

(5) जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देय बकाया न होने का प्रमाण पत्र। जहाँ आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता है वहाँ इस आशय का शपथ पत्र की प्रति।

11. एम0एस0टी0सी0 द्वारा केवल उन्हीं व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली–1963 के प्रावधानों के अन्तर्गत अर्ह हो। नियम–26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कम्पनी ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते है–

(1) जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है।

(2) जिसके विरूद्ध खनिज देय बकाया है।

(3) जिसने उस जिले की जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहाँ वह स्थाई रूप से निवास करता है से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया है। शर्त यह है कि उक्त चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो।

(4) जिसने अपने आधारकार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।

(5) जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।

(6) फर्म/कम्पनी के मामले में जिसने पैनकार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया हो।

12. आनलाईन ई–निविदा डालने तथा ई–नीलामी बोलने की विधि का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संस्था एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल www.mstcecommerce.com पर देखा जा सकता है।

13. ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने के लिये इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को प्रत्येक क्षेत्र के लिये पृथक–पृथक रू0 15000(रू0 पन्द्रह हजार मात्र) का शुल्क जो अप्रतिदेय होगा तथा अर्नेस्ट मनी जो विज्ञप्ति में क्षेत्र के नाम सम्मुख अंकित हो, जमा किया जाना होगा।

14. सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) यथावत उसी बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी जिस बैंक खाते से पैसा दिया गया था।

15. जहाँ किसी भी कारण से ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रक्रिया पूरी न हो वहाँ कम से कम 07 दिन की अल्प अवधि की नोटिस देने के पश्चात् पुनः ई–निविदा सह ई–नीलामी की जा सकती है।

16. अधिकतम पॉच खनन पट्टे या 400 हे0 से अधिक के क्षेत्र को, उ0प्र0 राज्य में किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्ही परिस्थितियों में एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400हे0 से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टे निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के पॉच क्षेत्र अथवा 400 हे0 के खनन पट्टे ही अनुमन्य होगें। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400हे0 से अधिक के खनन पट्टे हेतु जारी लेटर आफ इन्टेन्ट की सूचना देता है, जो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी।

17. ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रक्रिया–

(1) ई–निविदा सह ई–नीलामी दो चरणो में की जायेगी। प्रथम चरण में केवल ई निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत डाली जायेगी। बिड/रायल्टी की दर प्रत्येक उपखनिज के लिये प्रतिघन मीटर के लिये दी जायेगी तो सम्बन्धित उपखनिज के लिये नियमावली–1963 के अनुसूची–1 में उल्लिखित रायल्टी की दर से कम नही होगा। द्वितीय चरण में ई–निविदा में प्राप्त अधिकतम निविदा धनराशि को आधार मानकर ई–नीलामी की बोली की न्यूनतम धनराशि निर्धारित होगी। प्रथम चरण के इच्छुक आवेदक उक्त न्यूनतम धनराशि के ऊपर विज्ञप्ति में प्रकाशित तिथि व समय के अनुसार आनलाईन बोली में भाग लेगें।

(2) प्रथम चरण की समाप्ति के उपरान्त निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी:–

(क) यदि प्रथम चरण में एक ही बिड प्राप्त होती है और उक्त बिड (ऑफर) में प्रतिघन मीटर दिया गया दर नियमावली–1963 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिये निर्धारित रायल्टी दर से 400 प्रतिशत से अधिक है तथा शेष शर्तें पूर्ण करता हो तो जिलाधिकारी द्वारा उस निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेट जारी किया जायेगा।

(ख) यदि प्रथम चरण में केवल एक ही बिड प्राप्त होता है और उक्त बिड(ऑफर) में प्रतिघन मीटर में दिया गया दर नियमावली–1963 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिये

निर्धारित रायल्टी दर से अधिक परन्तु 400 प्रतिशत से कम है तो जिलाधिकारी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता, खनिज की गुणवत्ता, उपखनिज का बाजार मूल्य, उस क्षेत्र में से खनिज की मांग, क्षेत्र में अवैध खनन की सम्भावना, राजस्व की प्राप्ति आदि पर विचार करते हुये स्वविवेक से एकल निविदादाता के पक्ष में लेटर ऑफ इन्टेंट जारी करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय लेगें।

(ग) यदि प्रथम चरण में एक से अधिक परन्तु पॉच या पॉच से कम बिड प्राप्त होता है तो सभी बिड कर्ता द्वितीय चरण की ई–नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होगें तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा लेटर ऑफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(घ) यदि पॉच से अधिक बिड/आफर प्राप्त होते है तब केवल पॉच सर्वाधिक निविदाकार ही द्वितीय चरण की ई–नीलामी में भाग लेने हेतु अर्ह होगें तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर ऑफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(3) उपरोक्त प्रस्तर–17(2)(ग)(घ) के अनुसार प्रथम चरण के योग्य बोलीदाता द्वितीय चरण की नीलामी में भाग ले सकते है।

(4) द्वितीय चरण में ई–नीलामी की प्रक्रिया की जायेगी। ई–नीलामी की प्रक्रिया प्रथम चरण की अग्रसारित प्रक्रिया होगी, जिसमें प्रथम चरण में प्राप्त उच्चतम बिड/ऑफर द्वितीय चरण की ई–नीलामी के लिये न्यूनतम बोली (Floor price) स्वतः निर्धारित हो जायेगी।

(5) द्वितीय चरण की नीलामी की प्रक्रिया में नीलामी की निर्धारित अवधि के भीतर इच्छुक एवं अर्ह व्यक्ति/फर्म/कम्पनी बोली में कई बार भाग ले सकता है। नीलामी की ऑनलाईन प्रक्रिया में स्क्रीन पर अधिकतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली ऑनलाईन ही दिया जा सकता है।

(6) निर्धारित समय के पश्चात् बोली बन्द हो जायेगी और उसके उपरान्त कोई बोली नहीं दिया जा सकता है। बोली के अन्तिम समय में यदि कोई और बोली प्राप्त होती है तो नीलामी की बोली का समय स्वतः 05 मिनट के लिये बढ़ जायेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक 05 मिनट के अन्तराल में कोई और बोली प्राप्त नहीं होती है।

(7) ई निविदा सह ई नीलामी की कालयोजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी:–

प्रेस विज्ञप्ति (विज्ञप्ति का प्रकाशन)	दिनांक–
निविदादाता की पंजीकरण की तिथि	प्रि बिड की अन्तिम तिथि से दो कार्य दिवस पूर्व तक
प्रि बिड जमा करने की अन्तिम तिथि	07 सितम्बर, 2018
प्रथम चरण ई निविदा (ई टेण्डर) की अवधि	10 सितम्बर, 2018 से 13 सितम्बर 2018 तक

प्रथम चरण में प्राप्त ई–निविदा (बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन	14 सितम्बर, 2018 से 15 सितम्बर, 2018 तक
द्वितीय चरण ई–नीलामी की अवधि	1–दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक क्रमांक 1 पर अंकित विज्ञप्ति क्षेत्र एवं अपरान्ह 02:00बजे से सांय 05:00 बजे तक क्रमांक 2 पर अंकित विज्ञप्ति क्षेत्र के लिये।

(6) परिणाम की घोषणा एवं उसका प्रदर्शन–

(क) प्रथम चरण की निविदा प्रक्रिया का परिणाम निविदाकार (Tender) के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। प्रथम चरण के निविदा प्रक्रिया के समापन के पश्चात् अधिकतम् निविदा धनराशि (बिलिंग एमाउन्ट) प्रदर्शित की जायेगी। सभी निविदाकार द्वितीय चरण की बोली हेतु ये योग्य है अथवा नहीं को भी लॉगिन कर जान सकते है।

(ख) एकल निविदा के मामलों को छोड़कर शेष मामलों में द्वितीय चरण की नीलामी समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त अधिकतम बोली उसके बोलीदाता का विवरण एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

18. पट्टे का दिया जाना नियमावली के नियम–28 के प्रावधानों के अनुसार ई–निविदा सह ई–नीलामी के मामले में उस बोली या प्रस्ताव को उपरोक्त प्रस्तर–17(2) में दिये गये प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी स्वीकार करेगें जो उच्चतम हो। जिलाधिकारी द्वारा सफल एवं नियमानुसार अई बोलीदाता/निविदादाता को उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख के सत्यापन के एक सप्ताह के अन्दर लेटर आफ इन्टेंट निर्गत किया जायेगा।

19. ई–नीलामी समाप्त होने के पश्चात 03 कार्य दिवस के अन्दर सफल बोलीदाता को अपने मूल अभिलेख का सत्यापन उस जनपद के जिलाधिकारी जहाँ क्षेत्र स्थित है, के द्वारा अथवा निदेशक, भूतत्व एव खनिकर्म, निदेशालय के द्वारा कराना होगा। निदेशक द्वारा अभिलेख के सत्यापन की स्थिति में अभिलेख–सत्यापन की आख्या ई–मेल के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। अभिलेख –सत्यापन के पश्चात् ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा। सत्यापन में यदि कोई अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र कूटरचित, असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो लेटर आफ इन्टेंट जारी नहीं किया जायेगा तथा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त कर ली जायेगी।

20. लेटर आफ इन्टेंट में निम्न विवरण होगें:–

(1) प्रथम वर्ष के लिये देय नीलामी धनराशि की गणना पट्टा क्षेत्र के लिये विज्ञप्ति में आंकलित मात्रा घन मी0 को निविदा/नीलामी की दर रूपया घन प्रति मि0 से गुणा कर निकाली जायेगी। खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की देय धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

(2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे की निर्बन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिये प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिये बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिये बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।

(3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्ते एवं अनुवर्ती वर्षो में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली–1963 के चतुर्थ अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी।

(4) पट्टाधारक नियम–17 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा तथा नियम–35 के अनुसार सीमा–स्तम्भ लगायेगा एवं इसका अनुरक्षण करेगा।

(5) चयनित आवेदक नियम–34 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोज़र प्लान एवं भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 सपठित अधिसूचना, दिनांक 15.01.2016 तथा समय–समय पर यथा संशोधित उपबन्धों के अधीन पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।

(6) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम–34 के अनुसार क्षेत्र के भूमि–उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।

(7) लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

21. सफल बोलीदात/निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीति :

(1) स्वीकृत पट्टे की अवधि 05 वर्ष होगी, परन्तु बोली/निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिए मानी जायेगी। प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में पिछले वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ आगामी वर्ष में पट्टा धनराशि देय होगी। प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षो के लिए पट्टा धनराशि नियमावली–1963 के चतुर्थ अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।

(2) लेटर आफ इन्टेंट प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूत जमा एवं 25 प्रतिशत प्रथम किस्त अर्थात पट्टे के प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित पट्टा धनराशि का 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि एम0एस0टी0सी0 के ई पेमेन्ट गेट वे पर आ0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा किया जाना होगा। उक्त धनराशि जमा करने से पूर्व सफल निविदादाता/बोलीदाता द्वारा जमा प्री बिड अर्नेस्ट मनी समायोजित कर ली जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बंध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।

(3) प्रथम वर्ष के लिए शेष 75 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षो के लिए पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित चतुर्थ अनुसूची के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में नियत तिथि के अनुसार

देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम–59 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।

(4) पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज फाउण्डेशन (डी0एम0एफ0) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

22.शर्तें :

(1) ई निविदा सह ई निलामी में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के सम्बंध में मौके का निरीक्षण कर विडर स्वयं आश्वस्त हो ले। ई निविदा सह ई नीलामी में भाग लेने के पश्चात इस सम्बंध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(2) पट्टाधारक पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र का कार्डिनेट्स अंकित करेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व पट्टाधारक अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्बें का लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिए आवश्यक होगा।

(3) पट्टा अभिलेख के निष्पादन के दिनांक से छः माह के भीतर खनन संक्रियायों प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जान बूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भांति करेगा।

(4) पट्टा धारक नियम–35 के अनुसार वाहनें के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे संबंधित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई–प्रपत्र एम0एम0–11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख रखाव करेग एवं सदैव उसे चालू रूप से अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरें द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम–68 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।

(5) पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई–एम0एम0–11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनें को निर्गत ई–एम0एम0–11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हें सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली–1963 के नियम–59 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।

(6) पट्टेदार 03 मीटर की गहराई अथवा जलस्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियायें नहीं करेगा।

(7) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।

(8) नदी की जल धारा में सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

(9) स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहाँ पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।

(10)यदि पट्टधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तो का उल्लघंन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बतानें की युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।

(11)मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।

(12)नियमों एवं शर्तों के उल्लघंन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है ते इसक सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एंव यदि इस सम्बंध मे कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वार किया जायेगा।

(13)राज्य सरकार अथव केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्याति की जाती है तो वह पट्टाधारकों को मान्य होगा।

(14)पट्टा विलेख का निष्पादन नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पेपर पर पट्टाधारक द्वारा कराया जायेगा।

(रतिमान वर्मा)
प्रभारी अधिकारी (खनन)
महराजगंज।

संख्या : 693 /खनिज/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य विकास अधिकारी, महराजगंज।
6. प्रभारी अधिकारी,क्षेत्रीय कार्यालय,गोरखपुर भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग।
7. जिलासूचना विज्ञान अधिकारी महराजगंज को जिले की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. शाखा प्रबन्धक, एम0एस0टी0सी0लि0,जी–25/26 तेजप्लाजा,1, टी0एन0सिंह रोड़ हजरतगज लखनऊ।
9. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि जनपद महराजगंज के कम से कम 02 समाचार पत्रों में जिनका जनपद में व्यापक परिचालन हो में प्रकाशित कराये जाने हेतु।
10. प्रभारी अधिकारी खनन महराजगंज।
11. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, महराजगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
12. गार्जिर, कलेक्ट्रेट महराजगंज को जिले के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु।

प्रभारी अधिकारी (खनन)
महराजगंज।